जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2009/डी–1602 दिनांकः 4.11.09

कार्यवाही विवरण

विषयः– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 86 वीं बैठक दिनांक 29.10.2009 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	86.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 85 वीं बैठक दिनांक 09.10.2009 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के कियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 85 वीं बैठक दिनांक 09.10.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं कियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2.	86.2	भूखण्ड संख्या–3, मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र ए–ब्लॉक, जयपुर के प्रस्तावित संस्थागत भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	
3.	86.3	प्रस्तावित खसरा नम्बर 118/1, 187, 189, 188, 190, 193, 194, 195, 198 ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर, जयपुर पर प्रस्तावित स्कूल भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। 3. प्रार्थी द्वारा भवन की टेरेस फ्लोर 15.0 मीटर	

			ऊँचाई तक प्रस्तावित की गई है व मशीन रूम 17.83 मीटर और आर्किटेक्चरल फीचर लगभग 25.0 से 30.0 मीटर तक प्रस्तावित किये गये हैं जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है चूँकि भवन की ऊँचाई 15.0 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	
4.	85.4	खसरा नम्बर 64, 65, 66 व 69 भूखण्ड संख्या "सी" ग्राम हेमां की नांगल, टोंक रोड जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.09.2009 के क्रम में जोन की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित भवन मानिचत्रों को अनुमोदित किये जावें।	
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।				
5.	86.5	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 314 से 317, 321 से 330 उद्योग नगर जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 15 मीटर ऊँचाई के नक्शे जारी करने निवेदन किया है समिति द्वारा 15.0 मीटर ऊँचाई के मानचित्र जारी करने का निर्णय लिया गया एवं शेष ऊँचाई के मानचित्र अग्निशमन व नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने पर जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण	

			पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे।	
6.	86.6	भूखण्ड संख्या 117, संतोष नगर अजमेर रोड, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. समिति द्वारा मानचित्रों का अवलोकन किया गया और यह पाया गया कि प्रस्तावित कोरिडोर की चौडाई 2.0 मीटर है जो कि अधिक नहीं है एवं सरकुलेशन के लिए ये कोरिडोर रखे जाना आवश्यक है अतः अनुज्ञेय किये जावे एवं आवेदक से यह अण्डरटेकिंग ली जावे कि उनके द्वारा भविष्य में इन कोरिडोरों का कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जावेगा। 2. भूतल पर पीछे की ओर मैकेनिकल पार्किंग के प्रस्ताव को अनुज्ञेय किया जावें। 3. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाये जाने हेतु समर्पणनामा लिया जावे 4. प्रस्तावित भवन की ऊचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावे। निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित मानचित्र उपरोक्त शर्तो की पूर्ती पर जारी किये जायेगे।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

14/11/09

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति(बीपी),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

<u>परिशिष्ट–"1"</u>

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 86 वीं बैठक दिनांक 29.10.2009 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
3.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं बीआरटीएस), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5.	श्रीमति लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा,जयपुर	सदस्य सचिव

<u>विशेष आमंत्रित :–</u>

1. श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी–बीपी), जविप्रा, जयपुर

4/11/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांकः जविप्रा / स.स. / बीपीसी / 2009 / डी–1602 दिनांक : 4/11/09

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त, पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन–.............., जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

4/11/09

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)